

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 06.09.2023

हत्या का प्रयास करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना खोराबार के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 607/2023 धारा 307,504,506 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त बड़कू उर्फ अरविन्द यादव पुत्र स्व0 रामसेवक यादव निवासी गायघाट खुर्द थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद किया गया जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

बड़कू उर्फ अरविन्द यादव पुत्र स्व0 रामसेवक यादव निवासी गायघाट खुर्द थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 607/2023 धारा 307,504,506 भादवि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 444/2021 धारा 323,504,506 आईपीसी, धारा 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
2. मु0अ0सं0- 633/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0- 607/2023 धारा 307,504,506 भादवि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 जयन्त कुमार सिंह, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रमेश कुमार, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. का0 राघेवन्द्र दूबे, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. का0 रामाशीष यादव, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर